30M wide road section (प्रतीकात्मक)

12. तथ्यों का छिपानाः

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है तो उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दें तथा आवेदक द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लें तथा अन्य कोई कानूनी कार्यवाही जो प्राधिकरण उचित समझे, कर सकता है।

13. भूखण्ड का कब्जाः

13.1 आवंटन तिथि के पश्चात, भूखण्ड का मूल्य एवं अन्य देयों के भुगतान करने के पश्चात निबंधन कराकर आवेदक को भूखण्ड का कब्जा रेरा द्वारा निर्धारित अवधि में दिया जाएगा।

13.2 निबन्धन/अनुबन्ध इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जाएगा।

14. भूखण्ड को बन्धक रखने का प्रावधानः

आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति/अनापत्ति से प्राधिकरण की देय धनराशि जमा करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए भूखण्ड बन्धक रखने का अधिकार होगा।

15. अन्य सामान्य नियम एवं शर्तेंः

15.1 भूखण्डों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं मूल्य अनन्तिम है। विकास/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम व शर्तें तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

15.2 किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

16. भूखण्ड आवंटित होने के उपरांत विवादित होने की दशा में अन्य भूखण्ड नहीं दिया जाएगा एवं ऐसी स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि, भारतीय स्टेट बैंक के एम0सी0एल0आर0 दर से साधारण ब्याज देकर वापस कर दी जाएगी।

30M wide road section (Symbolic)

12. Concealment of Facts :

If any information provided by the applicant is found to be false or if any material fact has been concealed, the Vice Chairman, Lucknow Development Authority, shall have the right to cancel the allotment/registration/agreement. The entire registration amount deposited by the applicant shall be forfeited and any other legal action deemed appropriate by the Authority may also be taken.

13. Possession of Plot :

13.1 After the allotment date, upon payment of the plot value and other expenses, registration will be done, and the applicant will be given possession of the plot as per the period prescribed by RERA.

13.2 All expenses related to the execution of the lease deed/agreement shall be borne by the allottee.

14. Provision for Mortgaging the Plot :

With the permission/No Objection Certificate (NOC) of the Lucknow Development Authority, the allottee shall have the right to mortgage the plot for obtaining a loan to deposit the dues payable to the Authority.

15. Other General Terms and Conditions :

15.1 The location, area and cost of the plots are tentative. Final assessment shall be carried out after completion of development/construction work. Other prevailing rules and conditions of the Lucknow Development Authority and any amendments/modifications made by the Authority or the Government from time to time, shall be applicable and binding.

15.2 The jurisdiction for any dispute shall be Lucknow.

16. In case, the allotted plot becomes disputed after allotment, no alternate plot shall be provided. In such a situation, the deposited amount of the applicant shall be refunded along with simple interest at the State Bank of India MCLR rate.

17. आवंटनः

17.1 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी द्वारा आवेदकों के समक्ष किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से समाचार पत्रों में एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी जाएगी।

17.2 लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रुप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

17.3 लॉटरी के पश्चात डिजिटली हस्ताक्षरित आवंटन पत्र 15 कार्य दिवस के उपरांत प्राधिकरण की वेबसाइट **www.registration.ldalucknow.in** से डाउनलोड किये जा सकेंगे। पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

18. पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रियाः

18.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका **दिनांक 09.08.2026 से दिनांक 09.09.2026 तक रु-1100/- जी0एस0टी0 सहित)** का ऑनलाइन भुगतान कर registration. ldalucknow.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

18.2 आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाएंगे। ल0वि0 प्रा0 की **वेबसाइट - registration.ldalucknow.in** पर आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जाएंगे-

- **आवेदक/आवेदकों की फोटो**
- **आधार कार्ड**
- **पैन कार्ड**
- **स्कैन्ड हस्ताक्षर**
- **आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र**
- **पंजीकरण पुस्तिका में दिए गए प्रारुप के अनुसार शपथ-पत्र की एक प्रति**

17. Allotment :

17.1 Allotment of plots shall be carried out through a lottery in the presence of applicants. Information regarding the same shall be published separately in newspapers and on the Authority's website.

17.2 The results of the lottery shall be displayed publicly on the Authority's notice board and on the website of the Lucknow Development Authority.

17.3 The digitally signed allotment letter can be downloaded from the authority's website **www.ldaonline.co.in** after 15 working days from the date of the lottery. No separate allotment letter will be issued.

18. Registration and Application Process :

18.1 For registration, the information booklet can be downloaded from the **website- registration.ldalucknow.in** between **09.08.2026 to 09.09.2026** by making an online payment of **1100/- (including GST).**

18.2 Applications shall be accepted online only. The application form can be filled on the website- **registration.ldalucknow.in**. The following documents must be uploaded along with the application form :

- **Photograph of the applicant/applicants**
- **Aadhaar Card**
- **PAN Card**
- **Scanned Signature**
- **Reservation Category Certificate**
- **A copy of the affidavit as per the format given in the registration booklet**

Booklet No: 250906

19. आवेदक द्वारा जिस नाम से आवेदन किया जा रहा है, उसी नाम का बैंक खाता विवरण आवेदन में अंकित किया जाए।

19.1 आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय नाम व पता पूर्ण रूप से एवं सही भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

19.2 शासनादेश के अनुक्रम में भूखण्डों का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम में संयुक्त रुप से किया जाएगा। अतः विवाहित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।

19.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में बिंदु 18.2 के अनुसार दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे।

20. जब तक प्राधिकरण की ओर से लॉटरी के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाता है, तब तक जमा की गई पंजीकरण धनराशि केवल सिक्योरिटी के तौर पर जमा मानी जाएगी। आवेदन करने वाले व्यक्ति का स्टेटस आवंटन पत्र जारी किए जाने के उपरांत ही आवंटी के रूप में मान्य होगा।

Booklet No: 250906

19. The bank account details provided in the application must correspond to the same name under which the application is being submitted.

19.1 While applying online, the applicant must fill in their name and address completely/correctly. Incomplete or partially filled application forms shall not be accepted.

19.2 As per Government Orders, registration of plots shall be done jointly in the name of husband and wife. Therefore, married applicants may apply jointly in the application form.

19.3 In case of a joint application, all the documents shall be uploaded in accordance with Clause 18.2.

20. Until the allotment letter is issued by the Authority after the completion of the lottery process, the registration amount deposited shall be deemed to be a security deposit only. The applicant shall acquire the status of an allottee only upon the issuance of the allotment letter by the Authority.